Electronic International Interdisciplinary Research Journal (EIIRJ) ISSN 2277-8721
Bi-monthly Reviewed Journal Sep/Oct- 2013

सरदार सरोवर बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के नुकसान एवं मुआवजे के आवंटन कि वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन

Mk- l[kkjke e|tkYns
0kfj"V 0;[;kkrk
अर्थशास्त्र अध्ययनशाला,
noh vfgY;k fo;ofo|ky;]
bnkj ¼e-i½ 452001

1.प्रस्तवना–:

प्राचीन समय से भारत वर्ष में आदिवासियों का बाहुल्य था। आदिवासी लोंगो के मामलें में व्यवहार बहुत भिन्न है। ये लोंग जंगलों और पहाड़ों में जी तोड़ मेहनत कर खेती के लिए जमीन बनाकर अपनी जीवन–बसर करते थे। परन्तु जैसे–जैसे उनके इलाके सुगम होते जाते थे, दूसरे लोंग वहाँ पहुँच जाते और धीरे–धीरे उनकी जमीनों पर जबर्दस्ती कब्जा कर लेते और सब तरह का जोखिम झेलकर उस इलाके को आदमी के लिए जीतने वाला आदिवासी हार मानकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाता था। आदिवाससियों के विस्थापन का यह सिलसिला सदियों से चलता रहा है और अभी भी जारी है। इस विस्थापन में न कोई कानून था और न कायदा, एक ही सवाल हर जगह कि कौन अधिक ताकतवर है? ताकतवर आदमी और शक्तिशाली समाज ही जमीन और संसाधन के मालिक बन गये।[1] इसी तारतम्य में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से विकास करने हेतु इस की तरह पंचवर्षीय योंजना प्रारंभ की गई, ताकि योजनाओं से प्रत्येक क्षेत्र का समान रूप से विकास हो सके। विकास योजना के चलते जिन–जिन क्षेत्रों में उद्योग या बाँध या खनिज उपलब्धता के आधार पर कार्य जब शुरू हुआ तो वहाँ के स्थानीय लोगों को विस्थापित होना पड़ा। पंचवर्षीय योंजना के तहत् विकास योंजनाओं ने हर साल लगभग पाँच लाख लोंगो को विस्थापित किया, यह प्रशासन द्वारा भूमि के अधिग्रहण का सीधा नतीजा था। आजादी के बाद से 1600 बड़े बाँध बनाए गए और दसियों मंझोली व छोटी सिंचाई परियोंजनाऐं चालू की गई। इन सबने मिल–जुलकर

निरपवाद रूप से जल जमीन और मिट्टी की क्षारता की समस्या को जन्म दिया ही साथ ही 1.25 करोड़ लोंग विस्थापित भी हुए।[2]

नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन सरदार सरोवर बाँध की ऊँचाई 121.92 मीटर करने से कुल 24 हजार 421 परिवार प्रभावित हैं, बाँध की विवाद से पहले की ऊँचाई 110 मीटर थीं, बाँध की ऊँचाई बढ़ाने से मध्यप्रदेश के 177 गाँव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। सरदार सरोवर बाँध से कुल तीन राज्यों के 231 गाँव विस्थापित होंगे जिनमें सबसे अधिक मध्यप्रदेश राज्य के 192 जो कुल विस्थापित गाँवों का 83.11 प्रतिशत है, कुल 231 गाँवों के करीब 45 हजार परिवारों के लगभग 2.5 लाख से अधिक लोंगो का विस्थापन होना है। 12000 परिवारों के खेत व घर डूब चुके हैं। बाँध में 13.700 हेक्टेयर जंगल और लगभग इतनी ही कृषि योग्य भूमि डूबेगी।[3] सरदार सरोवर बाँध परियोजना से होने वाले विस्थापन से विस्थापित परिवारो को नुकसान के बदले में शासन द्वारा प्रदान की गई मुआवजा राशी के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें प्रस्तुत शोध में विश्लेषित किया गया है। जिनमें विस्थापित परिवारो को भूमि, आवास, वृक्ष, एवं विभिन्न सम्पति के नुकसान की भरपायी शासन द्वारा नगद मुआवजा राशि प्रदान कर की है। जिसे इन परिवारो द्वारा व्यवस्थित प्रबंध किया या फिजुल खर्ची में ही खर्च कर दिये है। जिस कारण इन विस्थापित परिवारो ने अपने पास जो था वह भी ना खो दिया हो।

2. संबंधित साहित्य का अध्ययन –:

पाल चेताली (2000) ने बताया है कि देश के कई राज्यों के गाँवों में पेयजल की समस्या आज भी बनी हुई है। इस समस्या के निदान के शासन द्वारा राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत पेयजल की समस्या को सुलझाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल आपूर्ति का एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है।[4] **देवराय विवेक (2001)** ने बताया है कि देश की दो तिहाई जनसंख्या प्रायः कृषि क्षेत्र से अपनी रोजी–रोटी कमाती है। सकल घरेलू उत्पादन की विकास दर बढ़ाने, निर्धनता कम करने एंव रोजगार जुटाने हेतु कृषि सुधार आवश्यक है।[5]

परशुमन एस. (1994) इस शोध अध्ययन में शोधकार्ता ने स्पष्ट किया है कि ''भूमिहीन श्रमिक एवं मछुआरों तथा अनुसूचित जाति, महिलाओं के प्रति पुनर्वास अधिकारियों के द्वारा हो रहे पक्षपात पूर्ण व्यवहार का उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।[6] **बापट ज्योत्सना (1996)** प्रस्तुत अध्ययन महाराष्ट्र

एरिगेशन प्रोजक्ट के लिए है, परियोजना द्वारा विस्थापित लोग अपनी बसाहट के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हैं साथ ही जिन लोगों का कानूनी तौर पर लेखा जोखा है उनका अपने पूर्ण अधिकार नहीं

मिल पा रहे हैं।[7] **मेनचिंग एच.जी. एवं शर्मा आर.सी. (1984)** ने बंजर भूमि संसाधन की विकास समस्याओं पर प्रकाश डाला है। जिसमें बिगड़ते पर्यावरण और पारिस्थितिकीय असंतुलन से निर्मित बंजर भूमि प्रबंधन में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए किस तरह से मुकाबला किया जाए उसकी रणनीति का वर्णन किया है।[8]

परशुमन (1996) ने अपने अध्ययन में पाया परियोंजना द्वारा लोंगो की सामाजिक आर्थिक स्थिति बिखर जाती है जिसके लिए पुर्नसमायोजन एवं पूनर्वास कार्यक्रम का लगातार निरीक्षण एवं मूल्यांकन करने पर बल दिया है।[9] **बंगाली एम.एम. (1996)** प्रस्तुत अध्ययन में लिखा है कि उद्योंग में दुर्घटना के द्वारा प्रभावित हुए परिवारों का सामाजिक–मानसिक पुनर्वास और उसके सामाजिक, आर्थिक जीवन पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है शोधकर्ता ने प्रभावित परिवारों की दुर्दशा कम करने के लिए PISW Professional Industrial Social Work की भूमिका पर बल दिया है।[10] **नरोहा अरनेष्टो (1999)** ने अपने अध्ययन में पाया कि एक व्यक्ति अध्ययन के तहत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और प्रभावित लोगों की रोजगार की स्थिति पर चर्चा की है, जिसमें औद्योगिक नीति और नये उदारीकरण नीति के अर्न्तसम्बंध को उजागर किया है।[11]

3. शोध के उद्देश्य –: अध्ययन के उद्देश्य निम्न है –:

1.सरदार सरोवर बाँध से विस्थापित परिवारों हेतु पुनर्वासित सरकारी योजनाएँ एवं प्रस्तावित सुविधाएँ विशेषतः मुआवजा आदि के आवंटन कि वास्तविक स्थिति का आँकलन करना।

2.सरदार सरोवर बाँध से पुनर्वास में होने वाली विभिन्न बाधाओं और समस्याओं का अध्ययन करना एवं पुनर्वास संबंधित नीतिगत एवं व्यवहारगत सुझाव देना।

4. शोध प्रविधि –:

नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन सरदार सरोवर बाँध परियोजना से बाँध कि ऊँचाई 121.92 मीटर करने से मध्यप्रदेश के कुल 192 गाँव प्रभावित एंव विस्थापित हुए है। जो कि सरदार सरोवर बाँध परियोंजना से होने वाले सम्पूर्ण विस्थापित एवं प्रभावित गाँवो का 83.11 प्रतिशत है। परियोंजना से होने वाले विस्थापन में विस्थापित होने वाले कुल परिवार 24421 है, जिसमें सर्वाधिक 18985 परिवार मध्यप्रदेश में बसने वाले परिवार है, जो कुल विस्थापित परिवारों 77.74 प्रतिशत है। कुल विस्थापित परिवारों में से गुजरात में बसने

वाले परिवार 5456 है, जिनका प्रतिशत 22.34 है। इस परियोंजना के कारण मध्यप्रदेश में कुल 192 गाँवों के निवासियों को 75 नव विकसित पुनर्वासित गाँवों में पुनर्वासित किया गया है।[12] अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के कुल 192 पुनर्वासित गाँवों मे से 20 गाँवों का चयन निदर्शन विधि से किया गया है। गाँवों के चयन के पश्चात् प्रत्येक गाँव से 20–20 विस्थापित परिवारों का चयन दैव निदर्शन पध्दति से चयन किया गया है। इस तरह अध्ययन हेतु कुल 400 ग्रामीण परिवारों का चयन किया गया है। इन परिवारों को सरकारी सुविधाओं एवं मुआवजें कि आबंटन संबंधी जानकारी एवं विस्थापित परिवारों को उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आँकडों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है।

भारत में राज्य को ही भूमि का अन्तिम स्वामी माना जाता है और राज्य को व्यक्ति और समुदाय की भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार होता है। साथ ही शासन द्वारा जब भी भूमि के अधिग्रहण से जिन लोंगो की आजीवीका प्रतिकूल प्रभावित होती है, उन्हें भूमि अधिग्रहण कानून के अर्न्तगत केवल नगद क्षतिपूर्ति का अधिकार ही होता है। पिछले वर्षो में सरकार ने भूमि के बदले भूमि प्रदान करने की बात को सिध्दांत स्वीकार कर लिया है। सरकार अब तो गरीब वर्ग के विस्थापितों को नगद भुगतान की प्रक्रिया से जुडी समस्याओं को स्वीकारने लगी है। वह कहती है "आदिवासी इलाके में जहां विस्थापितों को केवल नगद मुआवजा ही दिया जाता है, वहां उनमें इस राशी को उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च कर देने की प्रवृत्ति पायी जाती है और विस्थापित पुनः कंगाल हो जाते है और अधिकांश परियोजनाओं में आदिवासी विस्थापित बिना किसी आश्रय के एक स्थान से दूसरे स्थान भटकने के लिये बाध्य हो जाते है।[13]" सरदार सरोवर बांध परियोजना भारत की सबसे बडी नदी घाटी परियोजना हैं, जिसमें समस्त नदी घाटी परियोजनाओं में से सर्वाधिक लोगों का विस्थापन हो रहा है। इस प्रकार इन विस्थापित होने वाले परिवारों के विस्थापन से हुए नुकसान के बदले इन्हें मिलने वाली मुआवजा राशी एंव भूमि संबंधित तथ्यो को अग्र तालिकाओं के माध्यम से विश्लेषित गया है –:

5. विस्थापन से प्रभावित भूमि का क्षेत्र एंव भूमि के स्वामित्व की स्थिति –:

विस्थापित परिवारो की प्रभावित भूमि एंव उनके कुल भूमि के स्वामित्व के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र ता. क्र. 1 में दर्शाया गया है –:

ता. क्र. 1 –विस्थापन से प्रभावित भूमि का क्षेत्र एंव भूमि के स्वामित्व की स्थिति (एकड में)

प्रभावित भूमि का क्षेत्र (प्रतिशत में)	भूमि का स्वामित्व (एकड में)				योग
	2.5 से कम	2.5 – 5	5 – 7.5	7.5 से अधिक	
20 से कम	17 (53.13)	36 (48.65)	31 (64.59)	38(74.51)	122
20–40	3 (9.38)	5 (6.76)	9 (18.75)	3 (5.89)	20
40–60	1 (3.13)	2 (2.71)	1 (2.09)	0 (0)	4
60 से अधिक	11 (34.38)	31 (41.90)	7 (14.59)	10 (19.614)	59
योग	32 (100)	74 (100)	48 (100)	51 (100)	205

* कोष्ठक में आय के प्रतिशत को दर्शाया गया है।

उपरोक्त ता. क्र. 1 में सरदार सरोवर बांध परियोजना से प्रभावित परिवारो की भूमि के नुकसान के प्रतिशत एंव कुल भूमि के स्वामित्व की स्थिति को विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित होने वाले परिवारो में जिन परिवारो का 5 एकड से कम भूमि पर स्वामित्व था, उन परिवारो की संख्या सर्वाधिक 51.70 प्रतिशत है। 5 एकड से अधिक भूमि पर स्वामित्व रखने वाले परिवार 48.29 प्रतिशत है। इन परिवारो में विस्थापन के कारण जिनकी भूमि का नुकसान 20 प्रतिशत से कम हुआ है, उनमें 43.44 प्रतिशत परिवारो का 5 एकड से कम भूमि पर स्वामित्व था, एंव 56.55 प्रतिशत परिवारो का 5 एकड से अधिक भूमि पर स्वामित्व था। इसी प्रकार जिन विस्थापित परिवारो की 20–60 प्रतिशत भूमि का नुकसान हुआ है, उनमें 45 प्रतिशत परिवार 5 एकड से कम भूमि स्वामित्व वाले है, एंव 54.16 प्रतिशत परिवार 5 एकड से अधिक भूमि के स्वामि है। जिन परिवारो की 60 प्रतिशत से अधिक भूमि का नुकसान हुआ है, उनमें 71.18 प्रतिशत परिवारो की 5 एकड से कम भूमि थी, एंव 28.81 प्रतिशत परिवारो की 5 एकड से अधिक भूमि थी। इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन परिवारो का कम भूमि पर स्वामित्व था, उनकी अधिक भूमि का नुकसान हुआ है, एंव अधिक भूमि के स्वामित्व वाले परिवारो की कम भूमि का नुकसान है।

6. प्रभावित भूमि क्षेत्र के बदले प्राप्त मुआवजा राशी एंव कुल भूमि स्वामित्व की स्थिति का विश्लेषण –: विस्थापित परिवारो को प्रभावित भूमि के बदले प्राप्त मुआवजा राशी एंव कुल भूमि स्वामित्व के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र ता. क्र. 2 में दर्शाया गया है –:

ता. क्र. 2 – विस्थापन से प्रभावित भूमि की मुआवजा राशी एंव कुल भूमि के स्वामित्व की स्थिति (एकड में)

विस्थापन से प्रभावित भूमि का मुआवजा	कुल भूमि का स्वामित्व एकड में				
	2.5 से कम	2.5 – 5	5 – 7.5	7.5 से अधिक	**योग**
50000 से कम	3 **(1364)**	9 **(19.57)**	17 **(42.50)**	7 **(17.50)**	**36**
50000–150000	17 **(77.28)**	26 **(56.53)**	4 **(10)**	14 **(35)**	**61**
150000–250000	2 **(9.09)**	9 **(19.57)**	12 **(30)**	6 **(15)**	**29**
250000 से अधिक	0 **(0)**	2 **(4.35)**	7 **(17.50)**	13 **(32.50)**	**22**
योग	**22** **(100)**	**46** **(100)**	**40** **(100)**	**40** **(100)**	**148**

*** कोष्ठक में आय के प्रतिशत को दर्शाया गया है।**

Bi-monthly Journal

उपरोक्त ता. क्र. 2 में सरदार सरोवर बांध परियोजना से प्रभावित परिवारो को प्रभावित भूमि के बदले प्राप्त मुआवजा राशी एंव कुल भूमि स्वामित्व की स्थिति को विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारो में जिन परिवारो की भूमि का नुकसान हुआ है एंव उस भूमि के नुकसान के बदले में जिन परिवारो को नगद मुआवजा राशी प्राप्त की है। उनमें 45.94 प्रतिशत परिवारो का 5 एकड से कम भूमि पर स्वामित्व था, एंव 54.05 प्रतिशत परिवारो का 5 एकड से अधिक भूमि पर स्वामित्व था। भूमि के नुकसान के बदले इन परिवारो को प्राप्त मुआवजा राशी 50000 से कम जिन परिवारो को प्राप्त हुआ है, उनमें 33.33 प्रतिशत परिवारो के पास 5 एकड से कम भूमि थी, एंव 66.66 प्रतिशत परिवारो का 5 एकड से अधिक भूमि पर स्वामित्व था। इसी प्रकार 50000–250000 रुपये भूमि की मुआवजा राशी जिन परिवारो को प्राप्त हुई है, उन परिवारो में 60 प्रतिशत परिवारो का 5 एकड से कम एंव 40 प्रतिशत परिवारो का 5 एकड से अधिक भूमि पर स्वामित्व था। 250000 से अधिक भूमि के नुकसान की मुआवजा प्राप्त करने वाले परिवारो में 9.09 प्रतिशत परिवारों के पास 5 एकड से कम एंव 90.90 प्रतिशत परिवारो की 5

एकड से अधिक भूमि पर स्वामित्व था। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन विस्थापित परिवारो का अधिक भूमि पर स्वामित्व था, उन परिवारो को प्रभावित भूमि की मुआवजा राशी अधिक मिली है। एंव कम भूमि स्वामित्व वाले परिवारो को कम मुआवजा राशी प्राप्त हुई है। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् विस्थापित परिवारो को प्रभावित भूमि के बदले प्राप्त मुआवजा राशी एंव भूमि के स्वामित्व के मध्य स्वतंत्रता का परीक्षण (Test of Independent) करने के लिए x^2 **test*** का उपयोग किया गया है। जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना (H_{01}) निम्नलिखित है –: **"विस्थापित परिवारो की विस्थापन से प्रभावित भूमि की मुआवजा राशी एंव कुल भूमि के स्वामित्व के मध्य कोई सहसंबंध नही है।"** इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार x^2 **test*** के जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उन्हें ता. क्र. 3 में दर्शाया गया है –:

ता. क्र. 3 – विस्थापित परिवारो के विस्थापन से प्रभावित भूमि की मुआवजा राशी एंव भूमि के स्वामित्व के मध्य काई – वर्ग विश्लेषण

	After rehabilitation land ownership (In acre)	Total Compensation Amount of Affected land
Chi-Square	26.860	473.075
df	3	4
Asymp. Sig.	.000	.000

Bi-monthly Journal

अतः स्पष्ट है कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर **"विस्थापित परिवारो की विस्थापन से प्रभावित भूमि की मुआवजा राशी एंव कुल भूमि के स्वामित्व के मध्य कोई सहसंबंध नही है।"** को निरस्त करता है। तथा विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित परिवारो की विस्थापन के कारण प्रभावित भूमि के बदले प्राप्त मुआवजा राशी एंव कुल भूमि स्वामित्व के मध्य संबंध है। तथा जिन परिवारो को भूमि के नुकसान के बदले प्राप्त मुआवजा राशी एंव कुल भूमि स्वामित्व की स्थिति के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जिन विस्थापित परिवारो का कम भूमि पर स्वामित्व था, उन्हें मुआवजा कम मिली है, एंव अधिक भूमि स्वामित्व वाले परिवारो को अधिक मुआवजा राशी प्राप्त हुई है।

7. विस्थापन के कारण घर के नुकसान की मुआवजा राशी एंव मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल आय की स्थिति का विश्लेषण –: सरदार सरोवर बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारो के घर के नुकसान के

बदले प्राप्त मुआवजा राशी एंव उनकी मुख्य व्यवसाय से प्राप्त वार्षिक आय के संबंध में प्राप्त तथ्यों को अग्र ता. क्र. 4 में दर्शाया गया है–:

ता. क्र. 4 – विस्थापन के कारण घर के नुकसान की मुआवजा राशी एंव मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल आय की स्थिति

घर के नुकसान की मुआवजा राशी	मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल आय						
	12000 से कम	12000 – 18000	18000 – 24000	24000 – 32000	32000 – 36000	36000 से अधिक	योग
100000 से कम	77 (65.26)	39 (42.40)	16 (31.38)	16 (36.37)	3 (23.08)	14 (17.08)	165
100000 – 200000	36 (30.51)	47 (51.09)	29 (56.87)	20 (45.46)	7 (53.85)	35 (42.69)	174
200000 – 300000	4 (3.39)	5 (5.44)	6 (11.77)	8 (18.19)	3 (23.08)	26 (31.71)	52
300000 – से अधिक	1 (0.85)	1 (1.09)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	7 (8.54)	9
योग	118 (100)	92 (100)	51 (100)	44 (100)	13 (100)	82 (100)	400

*** कोष्ठक में आय के प्रतिशत को दर्शाया गया है।**

उपरोक्त ता. क्र. 4 में विस्थापित परिवारो के घर के नुकसान की मुआवजा राशी एंव मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली वार्षिक को विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित हाने वाले परिवारो में सर्वाधिक 65.25 प्रतिशत परिवारो की वार्षिक आमदनी 24000 रुपये से कम है, एंव 34.75 प्रतिशत परिवारो की आय 24000 से अधिक है। इन परिवारो के विस्थापन के कारण हुए घर के नुकसान के बदले प्राप्त मुआवजा राशी 100000 रुपये से कम जिन परिवारो को प्राप्त हुई है, उनमें 80 प्रतिशत परिवारो की वार्षिक आय 24000 रुपये कम है, एंव 20 प्रतशत परिवारो की आय 24000 से अधिक है। इसी प्रकार घर के नुकसान के बदले 100000–300000 रुपये कुल मुआवजा राशी प्राप्त करने वाले परिवारो में 56.19 प्रतिशत परिवारो की आय 24000 से कम एंव 43.80 प्रतिशत परिवारो की वार्षिक आय 24000 से अधिक है। घर की मुआवजा राशी 300000 से अधिक जिन परिवारो को प्राप्त हुई है, उनमें 22.22 प्रतिशत परिवार की आय 24000 से कम एंव 77.77 प्रतिशत परिवारो आय 24000 से अधिक है। अतः विश्लेषण स्पष्ट है कि अधिक आय वाले परिवारो को घर के नुकसान के बदले में मिली मुआवजा राशी भी अधिक है। एंव कम आय वाले परिवारो घर के नुकसान की मुआवजा राशी भी कम मिली है।

8.वृक्ष के मुआवजें की प्राप्त कुल राशि के आधार पर विश्लेषण –:

परियोजना से विस्थापित एवं प्रभावित परिवारो को विस्थापन के कारण नुकसान हुए वृक्षों का विस्थापित परिवारो को प्रदाय किये गये मुआवजे की स्थिति के संबंध में जो तथ्य हमें प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र ता. क्र. 5 के माध्यम से दर्शाया गया है –:

ता. क्र. 5 – वृक्ष के मुआवजें की प्राप्त कुल राशि (रूपयों में)

राशि (रूपयों में)	विस्थापित परिवारो की संख्या	प्रतिशत
नुकसान नही हुआ मुआवजा नही मिला	307	76.75
1000 – 6000	13	3.25
6000 – 12000	21	5.25
12000 – 18000	23	5.75
18000 से अधिक	36	9.0
योग	**400**	**100.0**
माध्य		**1.6700**

उपरोक्त ता. क्र. 5 में बाँध परियोजना प्रभावित एवं विस्थापित परिवारो को उनके नुकसान होने वाले वृक्षो की प्राप्त मुआवजा राशि के आधार पर विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित परिवारो में सर्वाधिक 9 प्रतिशत परिवारो को वृक्ष के नुकसान का मुआवजा 18000 से अधिक प्राप्त हुआ है। जिन विस्थापित परिवारो को वृक्षों के नुकसान की मुआवजा राशि 1000–6000, 6000–12000 एवं 12000–18000 रुपयें तक प्राप्त हुए है। उन परिवारो की संख्या 3.25, 5.25 एवं 5.75 प्रतिशत हैं। 76.75 प्रतिशत विस्थापित परिवारो का वृक्ष नुकसान नही हुआ है। जिन विस्थापित परिवारो को वृक्ष के नुकसान की भरपाई के रुप में जो मुआवजा राशी प्रदान की गई है, औसत रुप से प्रति परिवार 4241 रुपये प्रदान कि गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विस्थापति परिवारो को वृक्षों के नुकसान का अच्छा मुआवजा प्राप्त हुआ है।

9.विस्थापित परिवारो को सम्पूर्ण विस्थापन से प्राप्त कुल मुआवजा राशि का विश्लेषण –:

सरदार सरोवर बाँध परियोजना से होने वाले सम्पूर्ण विस्थापन के विस्थापित परिवारो को प्रदान किये गये कुल मुआवजा राशि के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र ता. क्र. 6 के माध्यम से विश्लेषित किया गया है –:

ता. क्र. **6 – विस्थापित परिवारो को सम्पूर्ण विस्थापन से प्राप्त कुल मुआवजा राशि (रूपयों में)**

मुआवजा राशि (रूपयों में)	विस्थापित परिवारो की संख्या	प्रतिशत
100000 से कम	108	27.0
100000 – 200000	161	40.25
200000 – 300000	66	16.5
300000 – 400000	32	8.0
400000 से अधिक	33	8.25
योग	**400**	**100.0**

उपरोक्त ता. क्र. 6 में बाँध से प्रभावित व पुनर्वासित परिवारों को पुनर्वास एजेंसी द्वारा आवंटित प्रति परिवार कुल मुआवाजा राशि के आधार पर विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 40. 25 प्रतिशत परिवारों को कुल 100000–200000 रु. मुआवजे के रूप में प्राप्त हुए है। 100000 रुपये से कम राशि मुआवजे के रुप में प्राप्त करने वाले परिवारो की संख्या 27 प्रतिशत है। जिन परिवारो को 200000–400000 रुपये मुआवजा राशि के रुप में प्राप्त करने वाले परिवार 24.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार 400000 से अधिक कुल मुआवजा राशि प्राप्त करने वाले परिवार 8.25 प्रतिशत है। इस प्रकार समस्त विस्थापित परिवारो को प्रदान की गई मुआवजा के औसत विश्लेषण से पता चलता है की प्रति विस्थापित परिवार को औसतन 197255 रुपये राशी प्रदान की गई है। अतः विस्थापित परिवारो को प्राप्त कुल मुआवजे की राशि के विश्लेषण से स्पष्ट है कि समस्त विस्थापित परिवारो को मुआवजे की अच्छी राशि सरकार ने प्रदान की है।

10.विस्थापन से प्राप्त कुल की मुआवजा राशी एंव मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल आय की स्थिति का विश्लेषण –: परियोजना से विस्थापित परिवारो को उनके सम्पूर्ण नुकसान के एवज में प्राप्त कुल मुआवजा राशी एंव

उनकी मुख्य व्यवसाय से प्राप्त वार्षिक आय के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र ता. क्र. 7 दर्शाया गया है –:

ता. क्र. 7 – विस्थापन से प्राप्त कुल की मुआवजा राशी एंव मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल आय की स्थिति

विस्थापन से प्राप्त कुल की मुआवजा राशी	मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल आय						
	12000 से कम	12000 – 18000	18000 – 24000	24000 – 32000	32000 – 36000	36000 से अधिक	योग
100000 से कम	64 (54.24)	23 (25)	7 (13.73)	8 (18.19)	1 (7.70)	5 (6.10)	108
100000– 200000	42 (35.60)	50 (54.35)	19 (37.26)	18 (40.91)	3 (23.08)	29 (35.37)	161
200000 – 300000	10 (8.48)	12 (13.05)	12 (23.53)	12 (27.28)	7 (53.85)	13 (15.86)	66
300000 – 400000	1 (0.85)	2 (2.18)	11 (21.57)	4 (9.09)	1 (7.70)	13 (15.86)	32
400000 – से अधिक	1 (0.85)	5 (5.44)	2 (3.93)	2 (4.55)	1 (7.70)	22 (26.83)	33
योग	118 (100)	92 (100)	51 (100)	44 (100)	13 (100)	82 (100)	400

*** कोष्ठक में आय के प्रतिशत को दर्शाया गया है।**

उपरोक्त ता. क्र. 7 में सरदार सरोवर बांध परियोजना से विस्थापित परिवारो को विस्थापन के कारण हुए नुकसान के बदले उन्हें प्रदान की गई कुल मुआवजा राशी एंव मुख्य व्यवसाय से प्राप्त वार्षिक आय की स्थिति को विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित होने वाले परिवारो में 65. 25 प्रतिशत परिवारो मुख्य व्यवसाय से प्राप्त आय 24000 से कम है, एंव 34.75 प्रतिशत परिवारो की वार्षिक आय 24000 रुपये से अधिक है। विस्थापन से हुए इनके समस्त नुकसान के बदले इन्हें प्रदान की गई मुआवजा राशी 100000 रुपये कम जिन परिवारो को प्रदान की गई है, उनमें 87.03 प्रतिशत परिवारो की आय 24000 रुपये से कम है, एंव 12.96 प्रतिशत परिवारो की आय 24000 रुपये से अधिक है। इसी प्रकार 100000–200000 रुपये मुआवजे की राशी प्राप्त करने वाले परिवारो में भी 68.94 प्रतिशत परिवारो की आय 24000 रुपये से कम एंव 31.05 प्रतिशत परिवारो की आय 24000 रुपये से अधिक है। कुल मुआवजे की राशी 20000–400000 रुपये जिन परिवारो को प्रदान किये गये है, उन परिवारो में 48.97 प्रतिशत परिवारो की आय

24000 रुपये से कम एंव 51.02 प्रतिशत परिवारो की आय 24000 रुपये से अधिक है। 400000 से अधिक कुल मुआवजा राशी प्राप्त करने वाले परिवारो में 24.24 प्रतिशत परिवारो की 24000 रुपये से कम एंव 75.75 प्रतिशत परिवारो की आय 24000 रुपये से अधिक है। अतः इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन विस्थापित परिवारो की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय अधिक है, परिवारो को मुआवजा राशी अधिक प्राप्त हुई है। तथा जिन परिवारो की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त आय कम है, उन्हे मुआवजा राशी कम प्राप्त हुई है। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् विस्थापित परिवारो को मिलने वाली कुल मुआवजा राशी एंव मुख्य व्यवसाय से प्राप्त के मध्य स्वतंत्रता का परीक्षण (Test of Independent) करने के लिए x^2 **test*** का उपयोग किया गया है। जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना (H_{07}) निम्नलिखित है –: **"विस्थापित परिवारो को प्राप्त कुल की मुआवजा राशी एंव मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल आय के मध्य कोई सहसंबंध नही है।"** इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार x^2 **test*** के जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उन्हें ता. क्र. 8 में दर्शाया गया है –:

ता. क्र. 8 – विस्थापित परिवारो को प्राप्त कुल की मुआवजा राशी एंव मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल आय के मध्य काई– वर्ग विश्लेषण

	Total compensation amount	After rehabilitation total annual income of main occupation
Chi-Square	150.675	107.270
df	4	5
Asymp. Sig.	.000	.000

अतः स्पष्ट है कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर **"विस्थापित परिवारो को प्राप्त कुल की मुआवजा राशी एंव मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल आय के मध्य कोई सहसंबंध नही है।"** को निरस्त करता है। तथा विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित परिवारो की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल एंव कुल प्राप्त मुआवजा राशी मध्य संबंध है। तथा जिन परिवारो की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल अधिक है, उन्हे मुआवजा राशी अधिक मिली है। तथा जिनकी मुख्य व्यवसाय से प्राप्त आय कम है, उन परिवारो को मुआवजा राशी कम प्राप्त हुई है।

11.विस्थापन से प्राप्त कुल की मुआवजा राशी एंव शैक्षणिक स्तर की स्थिति का विश्लेषण –:

विस्थापित परिवारो को उनकी शैक्षणिक स्थिति एंव विस्थापन के कारण प्राप्त कुल मुआवजा राशी को अग्र ता. क्र. 9 में विश्लेषित किया गया है –:

ता. क्र. 9 – विस्थापन से प्राप्त कुल की मुआवजा राशी एंव शैक्षणिक स्तर की स्थिति

विस्थापन से प्राप्त कुल की मुआवजा राशी	शैक्षणिक स्तर						
	अशिक्षित	शिक्षित	कक्षा 5वीं	कक्षा 6–8 वीं तक	कक्षा 9–12 वीं तक	कक्षा 12 वीं से अधिक	योग
100000 से कम	36 (18.36)	17 (25)	20 (51.29)	18 (33.97)	11 (33.34)	6 (46.16)	108
100000– 200000	85 (43.82)	28 (41.18)	8 (20.52)	25 (47.17)	13 (39.40)	2 (15.39)	161
200000 – 300000	46 (23.72)	7 (10.38)	3 (7.70)	2 (3.78)	6 (18.19)	2 (15.39)	66
300000 – 400000	17 (8.77)	5 (7.36)	4 (10.26)	2 (3.78)	2 (6.06)	2 (15.39)	32
400000 –से अधिक	10 (5.16)	11 (16.18)	4 (10.26)	6 (11.32)	1 (3.03)	1 (7.70)	33
योग	194 (100)	68 (100)	39 (100)	53 (100)	33 (100)	13 (100)	400

*** कोष्ठक में आय के प्रतिशत को दर्शाया गया है।**

उपरोक्त ता. क्र. 9 में विस्थापित परिवारो को विस्थापन के होने वाले समस्त नुकसान के बदले प्राप्त कुल मुआवजा राशी एंव उनके शैक्षणिक स्तर की स्थिति को विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित परिवारो में सर्वाधिक 48.5 प्रतिशत परिवारो के मुखिया अशिक्षित है। जिन परिवारो के मुखिया कक्षा 8वीं तक पढ़े लिखे है, उनकी संख्या 40 प्रतिशत है, एंव कक्षा 9वीं से अधिक शिक्षित मुखिया वाले परिवार 11.5 प्रतिशत है। विस्थापन के कारण हुए नुकसान के बदले इन्हें प्रदान की गई कुल मुआवजा राशी 100000 रुपये से कम जिन परिवारो को प्राप्त हुई है, उन परिवारो में 33.33 प्रतिशत परिवारो के मुखिया अशिक्षित है, एंव कक्षा 8वीं एंव कक्षा 9वीं से अधिक शिक्षित मुखिया वाले परिवार 50.92 एंव 15.74 प्रतिशत है। जिन परिवारो को कुल मुआवजा राशी 100000–200000 रुपये प्राप्त हुई है उनमें 52.79 प्रतिशत परिवारो के मुखिया अशिक्षित है, कक्षा 8वीं एंव कक्षा 9वीं से अधिक शिक्षित मुखिया वाले परिवार 37.88 एंव 9.31 प्रतिशत है। 200000–400000 मुआवजे की राशी प्राप्त करने वाले परिवारो में 64.28 प्रतिशत परिवारो के मुखिया अशिक्षित है, कक्षा 8वीं एंव कक्षा 9वीं से अधिक शिक्षित मुखिया वाले परिवार 23.46 एंव 12.24 प्रतिशत है। इसी प्रकार 400000 से अधिक कुल मुआवजा राशी प्राप्त करने वाले परिवारो में 30.30 प्रतिशत परिवारो के मुखिया अशिक्षित है, कक्षा 8वीं एंव कक्षा 9वीं से अधिक शिक्षित मुखिया वाले परिवार 63.63 एंव

6.06 प्रतिशत है। इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन परिवारो के मुखिया अधिक शिक्षित है, उन परिवारो को मुआवजा राशी अधिक मिली है, कम शिक्षित मुखिया वाले परिवारो को कम मुआवजा राशी प्राप्त हुई है। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् विस्थापित परिवारो को प्राप्त कुल मुआवजा राशी मुआवजा राशी एंव उनके शैक्षणिक स्तर के मध्य स्वतंत्रता का परीक्षण (Test of Independent) करने के लिए x^2 **test*** का उपयोग किया गया है। जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना (H_{o8}) निम्नलिखित है –: **"विस्थापित परिवारो को प्राप्त कुल की मुआवजा राशी एंव शैक्षणिक स्तर के मध्य कोई सहसंबंध नही है।"** इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार x^2 **test*** के जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उन्हें ता. क्र. 10 में दर्शाया गया है –:

ता. क्र. 10 – विस्थापित परिवारो को प्राप्त कुल की मुआवजा राशी एंव शैक्षणिक स्तर के मध्य काई – वर्ग विश्लेषण

	Total compensation amount	Education level
Chi-Square	150.675	317.720
Df	4	5
Asymp. Sig.	.000	.000

अतः स्पष्ट है कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर **"विस्थापित परिवारो को प्राप्त कुल की मुआवजा राशी एंव शैक्षणिक स्तर के मध्य कोई सहसंबंध नही है।"** को निरस्त करता है। तथा विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित परिवारो को विस्थापन के कारण प्राप्त कुल मुआवजा राशी एंव उनके शैक्षणिक स्तर के मध्य संबंध है। तथा विस्थापन कारण जिन परिवारो को प्राप्त कुल मुआवजा राशी एंव उनके शैक्षणिक स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन परिवारो के मुखिया कम शिक्षित है, उन्हें मुआवजे की कम राशी प्राप्त हुई है एंव अधिक शिक्षित मुखिया वाले परिवारो अधिक मुआवजा राशी प्राप्त हुई है।

प्रतीपगमन मॉडल –: सरदार सरोवर बांध परियोजना से प्रभावित एंव विस्थापित परिवारो की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय आश्रित चर (Dependent Variable) को प्रभावित करने वाले विभिन्न स्वतंत्र चरो का अध्ययन प्रतीपगमन विश्लेषण (Regression Analysis) से किया गया है। इन स्वतंत्र चरो (Independent Variable) में कुल मुआवजा राशी (Total compensation amount), मुखिया की शैक्षणिक स्थिति (Educational Status) , भूमि का स्वामित्व (Land owenership) , परिवार का आकार (Size of family) आदि कारकों की सहायता से प्रतीपगमन विश्लेषण किया गया है।

आय को प्रभावित करने वाले स्वतंत्र कारकों के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रतीपगमन मॉडल का उपयोग किया गया है–:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 D + U_t$$

यहाँ पर आश्रित कारक

Y_t = विस्थापन के पश्चात् मुख्य व्यवसाय से प्राप्त कुल वार्षिक आय (10000 रु. में)

स्वतंत्र कारक

X_{1t} = कुल मुआवजा राशी (10000 रु. में)

X_{2t} = विस्थापन के पश्चात् भूमि स्वामित्व (एकड़ में)

X_{3t} = परिवार का आकार

D = Dummy For Education Level

D = 0 - Illiterate

D = 1 - Literate

मॉडल

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 D + U_t$$

आश्रित चर –: विस्थापन के पश्चात् मुख्य व्यवसाय से प्राप्त आय (10000 रु. में)

	Coefficients	**S.E.**	**t - value**	**Significant**	R^2
Intercept	0.422	(0.555)	.761	.447	0.311
X_{1t}	0.037	(0.010)*	3.494	.001	
X_{2t}	0.236	(.029)*	8.119	.000	
X_{3t}	0.108	(.080)	1.344	.180	
D	-0.221	(-.268)	-.826	.409	

*** 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर को प्रदर्शित करता है।**

उक्त प्रतीपगमन मॉडल में विस्थापित परिवारो की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय पर विभिन्न स्वतंत्र कारकों के प्रभावों को दर्शाया गया है। यह मॉडल 31.1 प्रतिशत विचलन (R^2 = 0.311) को दर्शाता है। अर्थात समस्त स्वतंत्र चर आश्रित चर का 31.1 प्रतिशत प्रसरण को स्पष्ट करते है।

इस मॉडल में कुल मुआवजा राशी का गुणांक (X_{1t} = 0.037) है जो कि सांख्यिकीय दृष्टि से यह 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर सार्थक है। इसका आशय यह है कि जिन विस्थापित परिवारों को मुआवजे की राशी अधिक मिली है, उन परिवारो की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय भी अधिक है। तथा जिन विस्थापित परिवारो को मुआवजा राशी कम प्राप्त हुई है, उनकी वार्षिक आय कम है। इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि विस्थापित परिवारो की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय को मुआवजा राशी प्रभावित कर रही है।

इस मॉडल के अनुसार विस्थापित परिवारो के भूमि के स्वामित्व का गुणांक (X_{2t} = 0.236) हैं जो कि सांख्यिकीय दृष्टि से 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर सार्थक है। इसका आशय यह है कि जिन विस्थापित परिवारो का अधिक भूमि पर स्वामित्व था, उन परिवारो की वार्षिक आय भी अधिक है। एंव कम भूमि के स्वामित्व वाले परिवारो की वार्षिक आय कम है। यह प्रतीपगमन विश्लेषण कुल भूमि के स्वामित्व एंव वार्षिक आय के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को स्पष्ट करता है कि भूमि का स्वामित्व आय को प्रभावित कर रहा है।

परिवार के आकार का गुणांक (X_{3t} = 0.108) है, जो की सांख्यिकीय दृष्टि से 10 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर भी सार्थक नहीं है अर्थात् सांख्यिकीय दृष्टि से परिवार का आकार विस्थापित परिवारो की वार्षिक आय को प्रभावित नही करता है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि विस्थापित होने वाले परिवारो में सर्वाधिक परिवार कृषि व्यवसाय करते है एंव अधिकतर परिवार एकांकी परिवार है। जिसके कारण इन परिवारो की आय को परिवार का आकार प्रभावित नही कर रहा है।

शिक्षा के स्तर का आकार का गुणांक (D = -0.221) ऋणात्मक है, परन्तु सांख्यिकीय दृष्टि से 10 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर भी सार्थक नहीं है। सर्वेक्षण के दौरान यह देखने आया है कि विस्थापित होने वाले परिवारो में सर्वाधिक परिवार ग्रामीण क्षेत्रके है एंव ग्रामीण क्षेत्रमें शिक्षा का स्तर पहले से ही काफी कम है, इन परिवारो का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा का स्तर इन परिवारो की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वाली को प्रभावित नही कर रहा है।

12.निष्कर्ष –:

सरदार सरोवर बाँध परियोजना से विस्थापित परिवारों की विस्थापन के कारण नुकसान होने वाली विभिन्न मदों एवं नुकसान के एवज में आवंटित की गई मुआवजा राशी से संबंधित विभिन्न पहलूओं का

विश्लेषण उपरोक्त शोध में किया गया हैं। जिसमें नुकसान हुई एवं मुआवजे की वास्तविक स्थिति के मूल्यांकन हेतु विस्थापित परिवारों की विस्थापन के कारण प्रभावित एवं नुकसान हुई विभिन्न मदें जैसे – भूमि, आवास, कुआ, वृक्ष, पाईप लाईन आदि का प्रतिशत एवं प्रभावित एवं नुकसान हुई विभिन्न मदों के एवज में आवंटित मुआवजा राशी संबंधी तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। इन विभिन्न तथ्यों के विश्लेषण से जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, वे इस प्रकार है – :

सरदार सरोवर बाँध से विस्थापित होने वाले परिवारो के पुनर्वास से होने वाले नुकसान एवं उनकी भरपाई हेतु आवंटित मुआवजा राशी के विश्लेषण से यह पता चलता है कि समस्त विस्थापित परिवारो को उनके होने वाले वाले नुकसान के बदले मिलने वाली मुआवजा राशी ठीक मिली है। तथा जिन विस्थापित परिवारो ने नुकसान हुई चल अचल सम्पत्ति के बदले नुकसान हुई सम्पत्ति ही ली है, उन्हें भी नुकसान के बदले संतुष्ठित नुकसान की भरपायी पुनर्वास ऐजेंसी ने की है। इसी प्रकार सरदार सरोवर बाँध परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारो को नुकसान के बदले मिलने वाली मुआवजा राशी के अतिरिक्त जिन परिवारो ने मुआवजा नही लिया तथा जिन्हें सरकार ने आवास हेतु प्लाट एवं कृषि भूमि ही प्रदान की है। विस्थापित परिवारो की मुख्य व्यवसाय से प्राप्त आय को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारको की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये प्रतिपगमन मॉडल का उपयोग किया गया। जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि मुख्य व्यवसाय से प्राप्त आय को प्राप्त मुआवजे की राशी एंव कुल भूमि का स्वामित्व प्रभावित कर रहा है। तथा जिन परिवारो को मुआवजे की राशी अधिक मिली है एंव जिनका अधिक भूमि पर स्वामित्व है, उन परिवारो आय भी अधिक है। परंतु आय को दूसरे दो स्वतंत्र कारक मुखिया का शैक्षणीक स्तर एंव परिवार का आकार प्रभावित नही कर रहे है।

संदर्भ

1. शर्मा ब्रम्हदेव, अनुसूचित जाति/जनजाति आयुक्त की 29वीं रिपोर्ट भारत सरकार नई दिल्ली, 1989। पेज नं. 169–170

2. कोठारी स्मितु, किसका राष्ट्र ? विकास बनाम विस्थापन–रेनबो पब्लिशर्स लिमिटेड दिल्ली। 1999, पेज नं. 9–10

3. नीरज मिश्र, इंडिया टूडे पत्रिका 3 मई 2006 पेज नं. 24

4. पाल चेताली , राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन : ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का एक सराहनीय प्रयास '' कुरुक्षेत्र कृषि भवन नई दिल्ली । नवम्बर 2000

5. देवराय विवकेख, '' राष्ट्रीय कृषि नीति और विश्व व्यापार संगठन '' योंजना सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 110001 । 1984 पृ. 10 ।

6. Parsuraman S. 1994 "Economic and Social Marginalization of Irrigation Projects Displaced People – Journal of Rural Development Vol. 13(2), pp 227-242 (1994) NIRDA Hydrabad India

7. Bapat Jyotsna "Towards a Successful Resettlement Strategy A Case Study" Journal of Rural Development Vol. 15 (1) pp 107-118 (1996) NIRDA Hydrabad India

8. Mensching H.G. and Sharma R.C. "Resource Management in Dryland's Rajesh Publications, New Delhi 110002. 1984.

9. Parasuram S. "Methodology issues in Studies on Resettlement and Rehabilitation of Project Displaced People" The Indian Journal of Social Work Vol. 57 issue 2 April 1996 ,pp 191-219

10. Bangali M.M. "Social Burden due to post-effect of occupational and injuries: need for Psycho-Social Rehabilitation" Gurunank journal of Sociology 1996 pp 81-96

11. Noronha Ernesto/Sharma R.N "Displaced Workers and Withering of Welfare State Economic and Political Weekly June 5, 1999 pp 1454-1460.

12. नई दुनिया प्रकाशित ''संदर्भ 2003'', इंदौर प्रकाशन , म.प्र.।

13. श्रीमाली कृष्ण मोहन "प्राचीन भारतीय इतिहास" हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 1998, पेज नं. 32–67